

सी.एच.
29/1/24


पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त हैं। अतः इंतज़ाम होकर
पत्रावली आडम्बर 29/1/24 को पेश हो।

TDR गुडामालादी
फॉर्म 18 दि. 12/1/24
द्वारा विभाजन प्रस्ताव
घाटा। संश्लेषण पत्रावली
किया गया।

पत्रावली आज पेश हुई। वहील वारी उपर
विभाजन प्रस्ताव पर बहक सुणी। वहील
वारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव रही होना स्वीकार
कर कतिपय दिने किने जाने का विवेक किया
गया। गुडामालादी द्वारा गान वारी की वारी
के खेत ख. नं. 392, 417, 418 रकबा कुल: 18.95
0.0486, 4.3949 हे. कुल रकबा 23.3989 हे. मरे
प्रति का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया
जाकर कतिपय विभाजन प्रस्ताव विभाजन कतिपय
दिने किया जाता है।

क्र. सं.	खानेदार का नाम व पता	खेत नम्बर	रकबा (हे. मरे)	वि. सं.	मालक	वारी
1.	मनमारास गुडामालादी वारी वारी का. दे. खानेदार रहन BCCB गुडामालादी	418	2.2175	का. दे.	0.93	के. के. के.
		392	9.3569	का. दे.	7.57	
2.	उका गुडामालादी हे. 1/5 वारी वारी का. दे. दे खानेदार रहन SBI गुडामालादी गुडामालादी मि. दे. 1/5 रहन SBI गुडामालादी नगा गुडामालादी हे. 1/5 रहन SBI गुडामालादी गुडामालादी मि. दे. 1/5 रहन SBI गुडामालादी मि. दे. दे खानेदार हे. 1/5 वारी वारी का. दे. दे खानेदार	2	11.5744	-	8.50	गुडामालादी
		417	0.0486	गो. के.	-	
		418	2.1774	का. दे.	0.92	
		392	9.3485	का. दे.	7.58	
3.	म गुडामालादी कुल रकबा 42	392	0.2500	गो. दे.	0.20	गुडामालादी

कतिपय कारक वहील गुडामालादी के विवेक
दिने जाते हैं कि राजस्व देकर है मरी प्रका
मालादी का माला - कुल रकबा नगर कतिपय
किया जावे कतिपय विभाजन प्रस्ताव मर नवमरी
विवेक का कतिपय दिने रहेगा। रही प्रका कतिपय
दिने पत्रा वारी हो पत्रावली विवेक सुगा होकर
इंतज़ाम रूपत हो।


(रामजी गुडामालादी)
उपनिर्देशक गुडामालादी

डिगरी व मुकदमे इब्दाई

(ओ. 20 रु. 6-7 जाब्दा दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादीगण

1. पूनमा पुत्र सोना
जाति जाट निवासी बातों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. उका पुत्र ईसरा
2. चूना पुत्र ईसरा
3. नगा पुत्र ईसरा
4. पुरखा पुत्र ईसरा
5. मीरा पत्नी खेराजराम
जाति जाट निवासी बातों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
6. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुडामालानी
7. शाखा प्रबन्धक बीसीसीबी बैंक शाखा गुडामालानी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

दावा बाबत :- 88, 53, 188 RTA

मुकदमा नम्बर :- 106/2023

निर्णय दिनांक :- 29/11/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री ओमप्रकाश विश्नोई एवं श्री सुखराम विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई व ... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा तहसील गुडामालानी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनीयान के राजस्व ग्राम बातों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 392, 417, 418 रकबा कमशः 18.9554, 0.0486, 4.3949 हैक्टेयर कुल रकबा 23.3989 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव, माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम ड्रिकी पारित की जाती है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	पूनमाराम पुत्र सोनाराम हि. पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन BCCB गुडामालानी	418	2.2175	बा.सो.	0.93	केसरिया
		392	9.3569	बा.दो.	7.57	
		2	11.5744	-	8.50	
2	उका पुत्र ईसरा हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन SBI गुडामालानी चूना पुत्र ईसरा हि. 1/5 रहन SBI गुडामालानी नगा पुत्र ईसरा हि. 1/5 रहन SBI गुडामालानी पुरखा पुत्र ईसरा हि. 1/5 रहन SBI गुडामालानी मीरा पत्नी खेराजराम हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार	417	0.0486	गे.मु.	-	गुलाबी
		418	2.1774	बा.सो.	0.92	
		392	9.3485	बा.दो.	7.58	
3	सयुक्त मूल खाता 42	392	0.2500	बा.दो.	0.20	बैगनी

भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/11/24 को जारी की गई।

(रामजी भाई कलबी)

सहायक कलक्टर, गुडामालानी

दिनांक : 29/11/24

क्रमांक: वाचक/2024/49

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी।

(रामजी भाई कलबी)

सहायक कलक्टर, गुडामालानी

डिगरी व मुकदमे इत्दादाई

(ओ. 20 रु. 6-7 जाबा दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादीगण

1. पूनमा पुत्र सोना
जाति जाट निवासी बातों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. उका पुत्र ईसरा
2. चूना पुत्र ईसरा
3. नगा पुत्र ईसरा
4. पुरखा पुत्र ईसरा
5. मीरा पत्नी खेराजराम
जाति जाट निवासी बातों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
6. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुडामालानी
7. शाखा प्रबन्धक बीसीसीबी बैंक शाखा गुडामालानी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

दावा बाबत :- 88, 53, 188 RTA

मुकदमा नम्बर :- 106/2023

निर्णय दिनांक :- 29/1/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू श्री ओमप्रकाश विश्‍नोई एवं श्री सुखराम विश्‍नोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई व ... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा तहसील गुडामालानी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनीयान के राजस्व ग्राम बातों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 392, 417, 418 रकबा कमशः 18.9554, 0.0486, 4.3949 हैक्टेयर कुल रकबा 23.3989 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव, माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री पारित की जाती है :-

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरग
1	पूनमाराम पुत्र सोनाराम हि. पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन BCCB गुडामालानी	418	2.2175	बा.सो.	0.93	केसरिया
		392	9.3569	बा.दो.	7.57	
		2	11.5744	-	8.50	
2	उका पुत्र ईसरा हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन SBI गुडामालानी चूना पुत्र ईसरा हि. 1/5 रहन SBI गुडामालानी नगा पुत्र ईसरा हि. 1/5 रहन SBI गुडामालानी पुरखा पुत्र ईसरा हि. 1/5 रहन SBI गुडामालानी मीरा पत्नी खेराजराम हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार	417	0.0486	गे.मु.	-	गुलाबी
		418	2.1774	बा.सो.	0.92	
		392	9.3485	बा.दो.	7.58	
		3	11.5745	-	8.50	
3	सयुक्त मूल खाता 42	392	0.2500	बा.दो.	0.20	बैगनी

भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वसद्व मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/1/24 को जारी की गई।

(रामजी भाई कलबी)

सहायक कलक्टर, गुडामालानी

दिनांक : 29/1/24

क्रमांक: वाचक/2024/ 48

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी।

(रामजी भाई कलबी)

सहायक कलक्टर, गुडामालानी